

अंकित मिश्रा

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील क्रमांक 2037/2025)

17 अप्रैल 2025

(न्यायमूर्ति श्री संजय करोल एवं न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा *)

विचारणीय बिंदु

क्या हाई कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अग्रिम जमानत देते समय विधि में कोई गंभीर त्रुटि कारित की है ?

शीर्ष टिप्पणियाँ †

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 438 – भारतीय दंड संहिता, 1860 – धाराएँ 195 क, 294, 506 – अभिकथन कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की और अपीलार्थी को जान से मारने की धमकी दी – प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई – उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को अग्रिम जमानत प्रदान की – अपीलार्थी ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 एक कुख्यात गैंगस्टर और अभ्यस्त अपराधी है, इसलिए वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं होना चाहिए:

निर्धारित: वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित सभी अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय हैं – किसी भी अपराध में सात वर्ष से अधिक के कारावास का दंड अधिरोपित नहीं है – प्रत्यर्थी संख्या 2 को अग्रिम जमानत पर रिहा करने के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण विधि की किसी मौलिक त्रुटि से ग्रस्त नहीं है – यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ प्रत्यर्थी संख्या 2 को किसी जघन्य अपराध में अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया हो – यह सत्य है कि सामान्यतः अभ्यस्त अपराधी को नियमित रूप से जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए, तथापि, वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरुद्ध दर्ज मामलों पर विस्तार से विचार किया है – एक बार जब उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का लाभ दे दिया गया है, तो उसके निरस्तीकरण के विचार को इस आधार पर परखा जाना चाहिए कि क्या उच्च न्यायालय ने मामले के

तथ्यों और परिस्थितियों में अग्रिम जमानत मंजूर करते समय कानून की कोई गंभीर त्रुटि की है - यदि यह ऐसा मामला होता जहाँ प्रत्यर्थी संख्या 2 पर किसी जघन्य अपराध कारित करने का आरोप होता, तो विचार भिन्न होता - उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 9, 10]

उद्धृत न्यायदृष्टान्त

दीपक यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य[2022]4 एससीआर 1:(2022)8 एससीसी 559- संदर्भित

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता 1973; दंड संहिता, 1860

कीवर्ड की सूची

अग्रिम जमानत ; आदतन अपराधी ; जमानत का रद्दकरण ; न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय ; गाली गलौज ; जान से मरने की धमकी ; पूर्व के अपराध ; जघन्य अपराध ;दंड संहिता 1860 की धारा 195A ; दंड संहिता 1860 की धारा 294 ; दंड संहिता 1860 की धारा 506 , दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 , विधि की भूल।

किससे उद्धृत मामला

दाण्डिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: दाण्डिक अपील क्रमांक: 2037/ 2025

एमसीआरसी संख्या 11000/2024 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की मुख्य पीठ के निर्णय और आदेश दिनांक 10.04.2024 से

पक्षकारों की ओर से उपस्थित

अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण : अभिनव श्रीवास्तव , शिवांग रावत

अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थीगण : के.एम. नटराज, एसजी, डी.एस. परमार, एएजी, श्रीमती मृणाल गोपाल एल्कर, श्रीमती श्रुति वर्मा, पवन रेले, अक्षय लोधी, गौरव कुमार, सुश्री सिमरन सिंह, विवेक गुप्ता।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

प्रशांत कुमार मिश्रा, जे.

छूट मंजूर ।

2. अपीलकर्ता/वास्तविक शिकायतकर्ता ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा एमसीआरसी संख्या 11000 वर्ष 2024 में पारित दिनांक 10.04.2024 के आक्षेपित निर्णय और अंतिम आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उच्च न्यायालय ने पुलिस स्टेशन ओमती, जिला जबलपुर में भारतीय दंड संहिता, 1860² की धारा 195 ए, 294 और 506 के तहत पंजीकृत एफआईआर संख्या 176 वर्ष 2023 के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 2 (अब्दुल रज्जाक) को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973¹ की धारा 438 के तहत अग्रिम प्रदान की ।

3. मामले का संक्षिप्त विवरण यह है कि 30.03.2023 को दोपहर लगभग 1.00 बजे, अपीलकर्ता अपने दोस्त (संदीप दुबे) के साथ चेकअप के लिए विक्टोरिया अस्पताल गया था। प्रत्यर्थी संख्या 2 उसी समय किसी अन्य आपराधिक मामले के संबंध में अपने एमएलसी के लिए अस्पताल परिसर में मौजूद था। अपीलकर्ता को देखकर, प्रत्यर्थी संख्या 2 उत्तेजित हो गया और उसने अश्लील गालियाँ देना, अपमानजनक भाषा का उपयोग करना और अपीलकर्ता को यह धमकी देते हुए मौत की धमकी दी कि वह प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ दर्ज शिकायत वापस ले ले और अपनी गवाही बदल दे, ऐसा न करने पर अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को बखशा नहीं जाएगा। अपीलकर्ता की शिकायत पर, उसी दिन यानी 30.03.2023 को विषय एफआईआर दर्ज की गई थी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत उसका बयान भी दर्ज किया गया था जिसमें अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ लगाए गए आरोपों को दोहराया था।

4. यह अपीलकर्ता का मामला है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 जबलपुर और उसके आसपास सक्रिय एक कुख्यात गैंगस्टर और आदतन अपराधी है, जिसके गिराव में 58 सदस्य हैं। इस आशय के दस्तावेज़ इस अपील के साथ दायर किए गए हैं। उसके खिलाफ 45 एफआईआर दर्ज हैं, इसलिए उच्च न्यायालय को एक आदतन अपराधी के पक्ष में अग्रिम जमानत का लाभ देने के विवेक का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। प्रत्यर्थी संख्या 2 को पुलिस स्टेशन मदन महल, जबलपुर में पंजीकृत एफआईआर संख्या 41 वर्ष 1996 से उत्पन्न एक मामले में भी दोषी ठहराया गया है और 02 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है और उसने वर्तमान मामले के समान प्रकृति के कई अन्य अपराध किए हैं। यह भी उजागर किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इसी तरह की गतिविधियों में शामिल

होकर अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 2 अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।

5. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान वकील यह तर्क देंगे कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी

संख्या 2 के आपराधिक इतिहास पर विचार किया और फिर भी यह निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान मामला अग्रिम जमानत पर उसकी रिहाई के लिए एक उपयुक्त मामला है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अधिकांश आपराधिक मामले वर्ष 1991 से 2012 की अवधि के दौरान दर्ज किए गए थे, जिनमें प्रत्यर्थी संख्या 2 को या तो बरी कर दिया गया है या जमानत पर रिहा कर दिया गया है। वर्ष 2012 से 2021 की अवधि के दौरान उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं थी। हालांकि, 26.08.2021 से प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत एक मामले सहित अन्य एफआईआर दर्ज की गईं। हालांकि, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उक्त कार्यवाही को इस न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 8597 वर्ष 2012 में दिनांक 31.01.2013 के आदेश द्वारा रद्द कर दिया है।

6. मध्य प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए श्री के.एम. नटराज, विद्वान एसजी (अपर महाधिवक्ता) ने पुरजोर तर्क दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 के आपराधिक इतिहास को देखते हुए उच्च न्यायालय को अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि, उन्होंने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया कि वर्तमान दोषपूर्ण आदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 14223 वर्ष 2024 को इस न्यायालय ने दिनांक 15.10.2024 के आदेश द्वारा पहले ही खारिज कर दिया है।

7. हमने दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है।

8. मामले के गुण-दोष पर विचार करने से पहले, दीपक यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ³ के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखना उचित होगा कि एक बार जमानत दिए जाने पर उसे उसी न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा कब रद्द किया जाना चाहिए। पैरा 31 से 36 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:

"31. इस न्यायालय ने कई उदाहरणों में दोहराया है कि एक बार दी गई जमानत को यांत्रिक तरीके से रद्द नहीं किया जाना चाहिए, बिना यह विचार किए कि क्या कोई बाद की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं जिन्होंने निष्पक्ष सुनवाई के लिए,

आरोपी को विचारण के दौरान जमानत की रियायत का आनंद लेने अनुमति देने को अननुकूल बना दिया है। यह कहने के बावजूद, जमानत रद्द करने के मामले में, जमानत रद्द करने का निर्देश देने वाले आदेश के लिए बहुत ठोस और भारी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं (जो पहले ही दी जा चुकी हो)।

32. इस न्यायालय के दो-न्यायाधीशों की पीठ ने दौलत राम बनाम हरियाणा राज्य, (1995) 1 एससीसी 349: 1995 एससीसी (आपराधिक) 237 के मामले में जमानत रद्द करने के आधार निर्धारित किए थे, जो इस प्रकार हैं:

- (i) न्याय प्रशासन के उचित अनुक्रम में हस्तक्षेप करना या हस्तक्षेप करने का प्रयास करना;
- (ii) न्याय के उचित अनुक्रम से बचना या बचने का प्रयास करना;
- (iii) किसी भी तरीके से आरोपी को दी गई छूट का दुरुपयोग;
- (iv) आरोपी के फरार होने की संभावना;
- (v) जमानत के दुरुपयोग की संभावना/वास्तविक दुरुपयोग;
- (vi) आरोपी द्वारा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को धमकाने की संभावना।

33. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जमानत रद्द करना केवल बाद में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों तक सीमित नहीं हो सकता है। इस न्यायालय के पास निश्चित रूप से बाद में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के अभाव में भी आरोपी की जमानत रद्द करने की अंतर्निहित शक्तियाँ और विवेकाधिकार हैं। निम्नलिखित उदाहरणस्वरूप परिस्थितियाँ हैं जहाँ जमानत रद्द की जा सकती है

33.1. जहाँ जमानत देने वाला न्यायालय रिकॉर्ड की सारभूत प्रकृति न कि तुच्छ प्रकृति की सुसंगत सामग्री को नजरअंदाज करते हुए असंगत सामग्री को ध्यान में रखता है।

33.2. जहाँ जमानत देने वाला न्यायालय पीड़ित या गवाहों की तुलना में आरोपी की प्रभावशाली स्थिति की अनदेखी करता है, खासकर जब पीड़ित के ऊपर पद और शक्ति के दुरुपयोग का प्रथम दृष्टया मामला हो।

33.3. जहाँ जमानत देते समय आरोपी के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड और आचरण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है।

- 33.4. जहाँ धारित न करने योग्य आधारों पर जमानत दी गई हो।
- 33.5. जहाँ जमानत देने वाले आदेश में गंभीर विसंगतियाँ पाई जाती हैं, जिससे न्याय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- 33.6. जहाँ आरोपी के खिलाफ लगे बहुत गंभीर आरोपों की प्रकृति को देखते हुए पहली बार में जमानत देना उचित नहीं था, जो उसके जमानत का हक समाप्त करते हैं और इस प्रकार इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता।
- 33.7. जब जमानत देने का आदेश दिए गए मामले के तथ्यों में स्पष्ट रूप से मनमाना, सनकी और विकृत हो।

34. नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 16 एससीसी 508: (2015) 3 एससीसी (आपराधिक) 527] के मामले में, आरोपी को उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। उच्च न्यायालय के आदेश [मिठन यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2014 एससीसी ऑनलाइन All 16031] के खिलाफ एक अपील में, इस न्यायालय के दो-न्यायाधीशों की पीठ ने उन सिद्धांतों पर मिसालों की जाँच की जो जमानत देने का मार्गदर्शन करते हैं और निम्नानुसार अवलोकन किया: (एससीसी पृष्ठ 513, पैरा 12)

"12.... कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक बार जमानत दिए जाने के बाद उसे रद्द करना क्योंकि आरोपी ने दुराचरण किया है या कुछ बाद की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं जो ऐसे रद्द करने को आवश्यक बनाती हैं, यह जमानत देने के ऐसे आदेश से पूरी तरह से एक अलग श्रेणी है जो अनुचित, अवैध और विकृत है। यदि किसी मामले में, जमानत के आवेदन पर विचार करते समय जिन सुसंगत कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए था, उन्हें ध्यान में नहीं रखा गया है या यह असंगत विचारों पर आधारित है, तो निस्संदेह उच्चतर न्यायालय जमानत देने के ऐसे आदेश को रद्द कर सकती है। ऐसा मामला एक अलग श्रेणी से संबंधित है और एक अलग दायरे में है। दूसरी प्रकृति के मामले से निपटते समय, न्यायालय आरोपी द्वारा शर्तों के उल्लंघन या बाद में उत्पन्न हुई पश्चातवर्ती परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देती है। इसके विपरीत, यह न्यायालय द्वारा पारित आदेश की औचित्यता और वैधता की गहराई से जाँच करती है।"

(जोर दिया गया)

35. इस न्यायालय ने महिपाल [महिपाल बनाम राजेश कुमार, (2020) 2 एससीसी 118: (2020) 1 एससीसी (आपराधिक) 558] में अभिनिर्धारित किया कि: (एससीसी पृष्ठ 126, पैरा 17)

"17. जहाँ जमानत के लिए एक आवेदन पर विचार करने वाली न्यायालय प्रासंगिक कारकों पर विचार करने में विफल रहती है, एक अपीलीय न्यायालय जमानत देने वाले आदेश को उचित रूप से रद्द कर सकती है। इस प्रकार एक अपीलीय न्यायालय को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या जमानत देने का आदेश दिमाग का गैर-अनुप्रयोग से ग्रस्त है या रिकॉर्ड पर साक्ष्य के प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण से उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार इस न्यायालय के लिए यह आकलन करना आवश्यक है कि क्या, साक्ष्य रिकॉर्ड के आधार पर, यह मानने के लिए प्रथम दृष्टया या उचित आधार मौजूद था कि आरोपी ने अपराध किया था, साथ ही अपराध की गंभीरता और सजा की गंभीरता को भी ध्यान में रखा जाए।"

36. इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने प्रकाश कदम बनाम रामप्रसाद विश्वनाथ गुप्ता, (2011) 6 एससीसी 189 : (2011) 2 एससीसी (आपराधिक) 848] के मामले में अभिनिर्धारित किया कि: (एससीसी पृष्ठ 195, पैरा 18-19)

"18. जमानत रद्द करने पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की गंभीरता और प्रकृति, आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला, आरोपी की स्थिति और रुतबा आदि पर भी विचार करना होता है। यदि आरोपी के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप हैं, तो उसकी जमानत रद्द की जा सकती है, भले ही उसने उसे दी गई जमानत का दुरुपयोग न किया हो।

19 हमारी राय में, ऐसा कोई सापेक्ष नियम नहीं है कि एक बार आरोपी को जमानत दे दिए जाने के बाद उसे तभी रद्द किया जा सकता है जब जमानत के दुरुपयोग की संभावना हो। वह कारक, हालांकि निस्संदेह महत्वपूर्ण है, एकमात्र कारक नहीं है। जमानत रद्द करने का निर्णय लेते समय कई अन्य कारक भी देखे जा सकते हैं।"

09. वर्तमान मामले पर लौटते हुए, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ पंजीकृत पिछले आपराधिक मामलों पर विचार किया है। उच्च न्यायालय ने वर्तमान

मामले में आरोपों सहित तथ्यों और परिस्थितियों पर भी विचार किया है। वर्तमान एफआईआर में कथित अपराध सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय हैं। कोई भी अपराध सात साल से अधिक की सजा नहीं देगा। जिस पिछले अपराध के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 2 ने धमकी दी है जो वर्तमान अपराध का गठन करता है, वह भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है, इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 195ए के संदर्भ में वर्तमान अपराध भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय होंगे। इस प्रकार, वर्तमान अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है और इसमें सात साल से अधिक की सजा नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 2 कुछ अन्य अपराधों के संबंध में जेल में है। हालांकि, फिर भी, उसे वर्तमान मामले में अग्रिम जमानत दी गई क्योंकि उसे संबंधित पुलिस ने वर्तमान मामले में गिरफ्तार नहीं किया है और ऐसा प्रतीत होता है कि यदि उसे अन्य मामलों में जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उसे वर्तमान मामले में भी गिरफ्तार किया जा सकता है ताकि उसे जेल में रखा जा सके।

10. दोनों पक्षों द्वारा रखे गए तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हम इस सुविचारित मत पर पहुँचे हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को अग्रिम जमानत पर रिहा करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानून की किसी मूलभूत त्रुटि से ग्रस्त नहीं है। यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ प्रत्यर्थी संख्या 2 को किसी जघन्य अपराध में अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया हो। यह सही है कि सामान्यतः आदतन अपराधी को नियमित रूप से जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए, हालांकि, वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ मामलों पर विस्तार से विचार किया है। एक बार उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का लाभ दिए जाने के बाद, इसे रद्द करने के विचार को इस आधार पर परखा जाना चाहिए कि क्या उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अग्रिम जमानत देते समय कानून में कोई गंभीर त्रुटि की है। हमारे विचार में, यदि यह ऐसा मामला होता जहाँ प्रत्यर्थी संख्या 2 पर किसी जघन्य अपराध का आरोप होता, तो विचार अलग होता, लेकिन जैसा कि नीचे नोट किया गया है, अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय हैं। इसलिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार, अपील खारिज की जाती है।

हालांकि, प्रत्यर्थी संख्या 2 के आपराधिक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, यह निर्देश दिया जाता है कि जब भी उसे अन्य मामलों में जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह मुकदमे के लंबित रहने के दौरान हर महीने की 1 या 2 तारीख को संबंधित पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेगा और किसी भी अन्य आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा, ऐसा न करने पर अपीलकर्ता या प्रथम प्रत्यर्थी /मध्य प्रदेश राज्य के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 को दी गई जमानत रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष जाने का अवसर बना रहेगा।

मामले का परिणाम: अपील खारिज।

[†] शीर्ष टिप्पणियां तैयार द्वारा निधि जैन

* लेखक

2 आईपीसी

1 सीआरपीसी

3 (2022) 8 SCC 559

(शिवम् कौरव द्वारा अनुवादित)